


पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा निवासी जाखड़ कॉलोनी नीमकाथाना सीकर मैसर्स- गोविन्द मिष्ठान भण्डार टैक्सी स्टेण्ड नीमकाथाना, सीकर कि ओर से श्री बलवीर जाखड़ एड0 उपस्थित हुये। वकील अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 11.11.2020 को समय 03:20 पी.एम. पर नीमकाथाना-सीकर में निरीक्षण के लिए मैसर्स- गोविन्द मिष्ठान भण्डार टैक्सी स्टेण्ड नीमकाथाना सीकर पर पहुंचा। निरीक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे फर्म मैसर्स- गोविन्द मिष्ठान भण्डार, में अप्रार्थी श्री ओमप्रकाश शर्मा गुलाब जामुन का विक्रय कर रहा था। विक्रेता को मैंने अपना परिचय दिया व उनका नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम बताया। श्री ओमप्रकाश शर्मा से वर्ष 2020 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो विक्रेता ने मौके पर खाद्य लाइसेंस वर्ष 2020 होना बताया व दिखाया।


(अमित कुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नामकोथाता (सीकर)



फर्म पर श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा गुलाब जामुन का विक्रय किया जा रहा था। फर्म पर उपलब्ध गुलाब जामुन के स्टोक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। वास्ते नमूना जांच, गुलाब जामुन 2 किलोग्राम गुलाब जामुन खरीदा जिसकी किमत विक्रेता को 400रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना अवमानक पाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया एवं प्रकरण में अप्रार्थी के कारोबार को देखते हुये कम से कम जूर्मना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म लिखित में कबूल किया एवं कम से कम जुर्मना लगाने का अनुरोध किया।

प्रार्थी व वकील अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ-2083 खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण अवमानक गुलाब जामुन का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) का उल्लंघन पाया गया। यह कृत्य लोगो के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से वाज आये। अप्रार्थी द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने से भी जुर्म कि गम्भीरता कम नहीं हो जाती है।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण के 31,000 रु का जुर्मना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्मना राशि हैड 0210-04-800-03-00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावे एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जुर्मना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 01.09.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
अतिरिक्त नौमकाथाना (सीकर)
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नौमकाथाना (सीकर)

पत्रावली अप्रार्थी द्वारा जुर्मना राशि जरिफ
चालान जमा करवाई जाकर स्टु चालान
दि उति पेश घेने पर पत्रावली तलब होउर
पेश उडी अप्रार्थी द्वारा उल्टुट चालान दि
उति पत्रावली में वारिड दि गड। पत्रावली
दालिद दफतर में।

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
(नौमकाथाना)

